कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग बंडा
जिला सागर (म.प्र.)
आदेश

बंडा, दिनांक 29/02/2024

क्रमांक / 241 /स्था./2024, कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 60/अ.भू.अ./स्था./2024 जिला सागर दिनांक 29/02/2024 द्वारा श्री/कु./श्रीमती NITYA KATARE पिता/पति MUKESH चयन का वर्ग EWS/NIL/FEMALE गृह जिला सागर को म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104, म0प्र0 भू-अभिलेख नियमावली (संशोधित दिनांक 23.10.2020) भाग 1 अध्याय 1 की कण्डिका (3) के तहत पटवारी पद के वेतनमान 5200-20200+2100 ग्रेड पे पर म0प्र0 भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2012 के नियम 13 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसंबर 2019 के प्रवाधान के अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर तहसील शाहगढ़ जिला सागर में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन होगी:-

1- यह नियुक्ति अस्थाई होगी एवं भू-अभिलेख नियमावली (संशोधित दिनांक 23.10.2020) तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 8(1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी ।

2- परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष में 90 % राशि, स्टाईपेंड के रूप मे देय होगी । परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान मे वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3- मध्यप्रदेश शासकीय सेवा अस्थायी तथा अर्द्ध अस्थाई सेवा नियम 1960 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एकपक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।

4- कर्तव्य पर उपस्थित होने के समय जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नियत समयावधि में प्रस्तुत न करने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

5- नियुक्त उम्मीदवार के विरूद्व किसी भी प्रकार का अपराध सिद्ध होने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

6- नियुक्त कर्मचारी को विवाह/संतान संबंधी शपथ पत्र एवं जीवित 02 संतान से अधिक संतान न होने संबंधी शपथ पत्र देना होगा।

7- अन्य शर्तो के अध्यधीन रहते हुए CPCT परीक्षा (हिन्दी टायपिंग एवं कम्प्यूटर प्रोफिशिऐंसी) उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष पश्चात सेवा में स्थायी किया जा सकेगा। यदि अभ्यर्थी नियुक्ति पूर्व से CPCT परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो उसे नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष के भीतर CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में नियत समयावधि में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

8- अन्य शर्तो के अध्यधीन रहते हुए सेवा में स्थायीकरण भू-अभिलेख नियमावली (यथासंशोधित) भाग 1 अध्याय 1 एवं 2 के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर नियत समस्त विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण होने उपरांत ही किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में नियमों/ प्रावधान अनुसार अनुत्तीर्ण/अनर्ह रहता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9- अभ्यर्थी का पुलिस चरित्र सत्यापन संतोषजनक पाए जाने पर ही सेवा में स्थायीकरण किया जा सकेगा अन्यथा की दशा में सेवा समाप्त की जा सकेगी।

10- राज्य शासन के अधीन दिनांक 01/01/2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को देय परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासकीय सेवकों पर लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाए जाएं और उन्हें लागू किये जाए, के अध्यधीन रहेगी।

11- उक्त नियुक्ति पटवारी प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ होने की तिथि व प्रशिक्षण सत्र पर उपस्थित होने के दिनांक से प्रभावशील मानी जावेगी। प्रशिक्षण मे उपस्थिति की दिनांक से वेतन देय होगा। प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित समय के भीतर उपस्थित न होने की दशा मे नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।

12- प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति प्राधिकारी ने मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के अनुदेशों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

अनुविभागीय अधिकारी
बंडा,
जिला सागर (म०प्र०)

पृ0 क्रमांक/ 241 /स्था./2024 **दिनांक 29/02/2024**

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त भू-अभिलेख मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. आयुक्त सागर संभाग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
6. कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला सागर की ओर सम्प्रेषित ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. उप आयुक्त भू-अभिलेख सागर मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
9. तहसीलदार शाहगढ़ जिला सागर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
10. संबंधित श्री NITYA KATARE निवासी WARD NO 35 RAJEEV NAGAR WARD SAGAR SAGAR SAGAR 470002 की ओर पालनार्थ।
11. आदेश पंजी ।

अनुविभागीय अधिकारी
बंडा,
जिला सागर (म०प्र०)